राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2408/2025

सुदेन्द्र कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कमांडेंट, 13 बटालियन, आरएसी (जेल सुरक्षा), चैनपुरा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.04.2025

आदेश की दिनांक : 07.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर कमांडेंट, 13 बटालियन, (जेल सुरक्षा), चैनपुरा, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कांस्टेबल के पद के लिये वर्ष 2012 में विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी ने भाग लिया और अपीलार्थी का चयन हुआ तथा वर्ष 2013 में नियुक्ति आदेश जारी किये गये, परंतु अपीलार्थी को यह कहते हुये नियुक्ति नहीं दी गई कि अपीलार्थी ने प्राधिकारी के समक्ष कुछ तथ्य छिपाये और उसके विरूद्ध आपराधिक मामला लंबित था, नियुक्ति नहीं देने के

पश्चात् अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17626/2013 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने दिनांक 01.08.2017 को आदेश जारी किया और जिसकी पालना में अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक 25.06.2018 को प्रदान की गई, परंतु वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि का काल्पनिक लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया और इसी प्रकार अपीलार्थी की वरिष्ठता का उचित रूप से संधारण नहीं किया गया। जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को अपीलार्थी से ऊपर वरिष्ठता प्रदान की गई। उनका कथन है कि इस प्रकार के अनेकों मामलों में अधिकरण द्वारा आदेश जारी किये गये हैं, जिसमें प्रार्थीयों द्वारा प्रत्यर्थी विभागों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं उसे नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील भी उक्त प्रकरणों के समान है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश गुरमीत सिंह वाले मामले में विभाग द्वारा पालना की गई है। उसी तरह अपीलार्थी के अभ्यावेदन का भी निस्तारण किया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर कमांडेंट, 13 बटालियन, (जेल सुरक्षा), चैनपुरा, जयपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि का काल्पनिक लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष